



राजस्थान सरकार

अल्पसंख्यक मामलातु एवं वक्फ विभाग

कमांक प 3(7)अल्प.वक्फ/2017/RK/00603

जयपुर, दिनांक 16 मई.2018

—: आज्ञा :—

विविध चरणों में नियुक्त जिन मदरसा शिक्षा सहयोगियों का मासिक मानदेय न्यूनतम मजदूरी से कम है उनका मानदेय दिनांक 01.03.2018 से न्यूनतम मजदूरी तक बढ़ाये जाने एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदया की घोषणा के अनुरूप दिनांक 1 जुलाई 2018 से मानदेय में की जाने वाली 10 प्रतिशत वृद्धि से समायोजित करते हुए मानदेय राशि निम्नानुसार निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	मदरसा शिक्षा सहयोगी नियुक्ति का चरण	संविदा पर लेने का वर्ष	विद्यमान मानदेय की मासिक दर	दिनांक 01.03.2018 से मानदेय की दर	मूल मानदेय (कॉलम 4) में 10 प्रतिशत वृद्धि के अनुसार मानदेय राशि	दिनांक 01.07.18 से मानदेय की दर
1	2	3	4	5	6	7
1.	प्रथम	2001	8250	8250	9075	9075
2.	द्वितीय	2003	8250	8250	9075	9075
3.	तृतीय	2003	8250	8250	9075	9075
4.	चतुर्थ	2008	7150	7202	7865	7865
5.	पंचम प्रथम	2011	6710	7202	7381	7381
6.	पंचम द्वितीय	2011	6270	7202	6897	7202
7.	सीपीटी	2011	6710	7202	7381	7381
8.	छठा	2013	5830	7202	6413	7202
9.	अप्रशिक्षित एवं 5 वर्ष से कम कार्य अवधि पर	2013	5830	5902	6413	6413
10.	एमएसए	2014	8250	8250	9075	9075

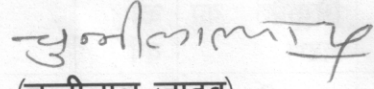
मदरसा बोर्ड के मदरसों में नियोजित शिक्षा सहयोगियों के मानदेय में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को रु. 400/- की वृद्धि की जाने के प्रावधान है। शिक्षा सहयोगियों के मानदेय में न्यूनतम मजदूरी के अनुसार वृद्धि एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदया की घोषणा के अनुसार हुई वृद्धि के कारण विद्यमान मानदेय में रु. 400/- से अधिक हुई है। अतः इनके मानदेय में रु. 400/- की अगली वार्षिक वृद्धि दिनांक 01.07.2019 को की जावेगी।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 211700467 दिनांक 13.04.2018 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

(प्रतिभा पारीक)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग।
3. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग।
5. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
9. सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
10. नोडल अधिकारी (वेबसाईट), राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।


(चुन्नीलाल जाटव)
सहायक शासन सचिव